



यूको बैंक UCO BANK  
प्रधान कार्यालय Head Office  
Personnel Services Department  
3-4, डीडी ब्लॉक DD Block, सेक्टर Sector-I, साल्ट लेक Salt Lake  
कोलकाता Kolkata-700 064

Circular No. CHO/PMG/ 33 /2016-17

Date : 16.12.2016

**TO ALL BRANCHES / OFFICES IN INDIAN UNION:**

**Sub: Scheme of Appointment on Compassionate Grounds - Improvement.**

We draw attention to Head Office Circular No. CHO/PMG/23/2014-15 dated 29.09.2014 informing the introduction of Govt. formulated new scheme of appointment on compassionate grounds in Public Sector Banks w.e.f. 5<sup>th</sup> August, 2014. Consequently, the payment of ex-gratia was discontinued.

The Department of Financial Services, Ministry of Finance, Govt. of India has received request to continue the earlier provisions of the scheme i.e. Compassionate appointment in exceptional cases or payment of ex-gratia lump sum amount in lieu of compassionate appointment.

Now, the banks have been informed to have both the options i.e. compassionate appointment or payment of lump sum ex-gratia amount. However, any of these two options can be used only when the other conditions of compassionate appointment are met.

In view of the above, the provision has been duly approved by the competent authority of our Bank.

Copy of this Circular should be brought to the notice of all employees of branches/Offices and also be prominently displayed on the Notice Board for information of all concerned.

(Ujjwal Kumar)  
GENERAL MANAGER  
HRM & Personnel Services Department



प्रधान कार्यालय Head Office

कार्मिक सेवा विभाग Personnel Services Department

3 एवं 4, डीडी ब्लॉक सेक्टर -1 साल्ट लेक सिटी कोलकाता-700 0064

3 & 4, DD Block, Sector -1 Salt Lake City, Kolkata-700 064

परिपत्र सं: सीएचओ/पीएमजी/33/ 2016-17

दिनांक: 16.12.2016

भारत संघ में स्थित सभी शाखाओं/ कार्यालयों को

विषय: अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना – सुधार ।

उक्त विषय पर प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं सीएचओ/पीएमजी/23/ 2014-15 दिनांक 29.09.2014 की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जिसके माध्यम से हमने सरकार द्वारा तैयार की गई 5 अगस्त, 2014 से लागू होने वाली सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की नई योजना की सूचना दी थी। इसके परिणामस्वरूप अनुग्रह राशि का भुगतान बंद कर दिया गया था।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को अनुरोध प्राप्त हुआ है कि पूर्ववर्ती योजना के प्रावधान अर्थात् आपवादिक मामलों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले अनुग्रह राशि का एक मुश्त भुगतान किया जाना जारी रखा जाय ।

बैंकों को अब दोनों ही विकल्पों का अर्थात् अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या अनुग्रह राशि का एक मुश्त भुगतान जारी रखने की सूचना मिली है। तथापि, इन दो विकल्पों में किसी एक का चयन तभी किया जा सकेगा जब अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की अन्य शर्तें पूरी हो रही हों।

उक्त के आलोक में बैंक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रावधान को सम्यक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है।

इस परिपत्र की प्रति शाखाओं/कार्यालयों के सभी कर्मचारियों की जानकारी में लाई जाय तथा सभी संबंधित जनों की सूचना के लिए इसकी एक प्रति सूचना पट्ट पर भी लगाई जाय।



(उज्ज्वल कुमार)

महाप्रबंधक

मासंप्र तथा कार्मिक सेवा विभाग

30

